न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा

अनुवान शिम्भुदयाल अग्रवाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 382/2025

निर्णय दिनांक 18/09/2025

शिम्भुदयाल पुत्र इन्द्रचंद अग्रवाल जाति महाजन निवासी मेहरी राजियां तहसील सरदारशहर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 27 खसरा नं. 83 तादादी 8.0169 हैक्ट., ख.नं. 84 तादादी 8.5480 हैक्ट भूमि रोही ग्राम कोहिणा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम शिंभुदयाल पुत्र इंन्द्रचन्द दर्ज है जो कि गलत है सही नाम शिम्भुदयाल अग्रवाल पुत्र इन्द्रचंद अग्रवाल है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम शिम्भुदयाल अग्रवाल पुत्र इन्द्रचंद अग्रवाल किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कोहिणा तहसील तारानगर के खाता संख्या 27 खसरा नं. 83 तादादी 8.0169 हैक्ट., ख.नं. 84 तादादी 8.5480 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम शिंभुदयाल पुत्र इंन्द्रचन्द Delete कर इसके स्थान पर शिम्भुदयाल अग्रवाल पुत्र इन्द्रचंद अग्रवाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner